झारखण्ड ऊर्जा संचरन निगम लि० द्वारा उलीझारी–चाईबासा से गुवा ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु चाईबासा वन प्रमण्डल अन्तर्गत 42.148 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव को लोकहित में निम्नांकित शर्त्तों के साथ अग्रसारित किया जाता है:–

1. इस प्रमण्डल अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित दो गुण अवकृष्ट वन पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दस वर्षीय प्राक्कलित राशि उपलब्ध करना होगा।
2. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के विरूद्व निर्धारित NPV एवं सरकार तथा सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित की गई राशि को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
3. टावर निर्माण के कम में उपयोग में लाये जाने वाले पत्थर, मिट्टी हेतु समीपस्थ वन को क्षति पहुँचाना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा।
4. निर्माण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जायेगा।
5. ट्रान्समिशन लाईन के दौरान वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचाया जायेगा।
6. ट्रान्समिशन लाईन के लिये प्रस्तावित टावरों के निचले भागों में लगभग 20 फुट ऊँचाई तक पर्याप्त insulation करना होगा जिससे टावरों में दुर्घटनावश करंट आने की दशा में हाथियों एवं अन्य वन्यजीवों को क्षति न हो।
7. ट्रान्समिशन लाईन के तारों की पर्याप्त ऊँचाई बनाये रखनी होगी तथा तारों से पक्षियों आदि की दुर्घटना को बचाने हेतु पर्याप्त insulation करना होगा। इसके अतिरिक्त तारों को दुर्घटनावश टूटने एवं इससे वन क्षेत्र में वन अग्नि को रोकथाम हेतु तारों के नीचे उपयुक्त विधि से सुरक्षा उपाय किये जाने होंगे।
8. सक्षम स्तर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने पर वृक्ष पातन हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा संमीक्षा कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्ताव के अंतिम स्वीकृति के पूर्व अपयोजित होने वाले वन भूमि में उपायुक्त द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

26/09/2018.

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।